भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1775

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात/आयात

1775 : डॉ. के. जयकुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से वास्तविक मात्रा में वर्ष–वार कितना निर्यात और आयात हुआ है;

(ख) ऐसे निर्यात और आयात का मदवार ब्यौरा क्या है जिसका कुल वार्षिक निर्यात तथा आयात का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है;

(ग) क्या निर्यात के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2013–14 से समग्र (उत्पाद और सेवाएं) निर्यात और आयात के वर्षवार मूल्य का विवरण निम्नानुसार हैः

भारत का समग्र व्यापार (मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)		
वर्ष	**निर्यात**	**आयात**
2013-14	466.22	528.95
2014-15	468.45	529.61
2015-16	416.60	465.64
2016-17	440.05	480.21
2017-18	498.61	583.11
2018-19	538.08	640.09
2019-20	526.55	602.98
2020-21	497.90	511.96
2021-22	676.53	760.06
2022-23	776.40	898.01

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

विभिन्न वस्तुओं की निर्यातित/आयातित मात्रा अलग–अलग इकाइयों में है, अतः योगात्मक नहीं है।

(ख): पिछले वर्ष के दौरान शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुओं के व्यापारिक निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

					मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में	
क्र.सं.	**वस्तु**	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24 (अप्रैल–अक्तूबर)**	**% हिस्से दारी**
1	इंजीनियरिंग वस्तुएँ	76.7	112.2	107.0	61.6	23.7
2	पेट्रोलियम उत्पाद	25.8	67.5	97.5	47.9	21.6
3	रत्न और आभूषण	26.0	39.1	38.0	18.6	8.4
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	22.1	29.4	30.3	15.6	6.7
5	औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स	24.4	24.6	25.4	15.8	5.6

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, (2023–24 के लिए आंकडे अनंतिम हैं)

पिछले वर्ष के दौरान शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुओं के व्यापारिक आयात का विवरण निम्नानुसार है:

					मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में	
क्र.सं.	**वस्तु**	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24 (अप्रैल–अक्तूबर)**	**% हिस्से दारी**
1	पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद	82.7	161.8	209.4	98.7	29.2
2	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ	54.3	73.7	77.3	51.3	10.8
3	कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	16.3	31.7	49.7	22.5	6.9
4	मशीनरी, विद्युत और गैर–विद्युत	30.1	39.9	45.4	28.7	6.3
5	सोना	34.6	46.2	35.0	29.5	4.9

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, (2023–24 के लिए आंकडे अनंतिम है)

(ग) और (घ): पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय निर्यात में अधिक मूल्य वर्धित और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद आदि पर बल दिया गया है। सभी निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन और नीतिगत समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्रभावी आर्थिक/व्यापारिक परिदृश्य और दुनिया की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आधार पर कदम उठाए जाते हैं। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यान्वित की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, पूर्व में शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल्स,

कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एव इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ix) विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघो के साथ निर्यात प्रदर्शन की नियमित निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

****